

कार्यालय आदेश संख्या- 24/17


महाप्रबंधक (का.) गोरखपुर का पत्र सं. का/227/15/3/1/भाग-छ/पाँच दिनांक 28.5.15 एवं भर्ती अनुभाग वाराणसी की टिप्पणी सं. का/227/गोप/सीधी भर्ती/2013/1/ दिनांक-05.06.15 के आलोक में टिकट परीक्षक वेतनमान-5200-20200+1900 ग्रेड पे (वर्तमान में लेवल-3) के पद पर रेलवे भर्ती बोर्ड गोरखपुर द्वारा चयनित अभ्यर्थी जो मुविधि/वाराणसी दारा बी-2 चिकित्सीय श्रेणी में फिर पाये गये हैं तथा वरिष्ठ प्राचार्य क्षेत्रीय रेल प्रशिक्षण संस्थान मुजफ्फरपुर के पत्र सं. टी/327/23/1/भाग-VIII दिनांक 23.9.16 दारा दिनांक 21.7.16 से 05.9.16 तक टिकट परीक्षक के प्रशिक्षणोपरान्त प्रशिक्षण में उत्तीर्ण घोषित हुए हैं, के उपरान्त इनकी अस्थाई नियुक्ति टिकट परीक्षक (5200-20200+1900 ग्रेड पे)/लेवल-3 के पद पर (समय-समय पर देय भत्तों के साथ) करते हुए उनके नाम के सम्मुख अंकित वेतन दर/स्टेशन पर पदस्थापित किया जाता है।

| क्र सं. | नाम/पिता का नाम                        | जन्मतिथि/मैट्रिकल प्रमाण पत्र सं./श्रेणा एवं दिनांक | पद/वेतनमान/लेवल/ कार्यस्थल/वेतनदर  | मेरिट क्रमांक |
|---------|--|---|------------------------------------|---------------|
| 1.      | कुमारी पूनम यादव पुत्री कैलाश नाथ यादव | 9.7.95/21679/943, बी2, 13.9.14                      | वरि.टीई, लेवल-5 वाराणसी रेड /30100 | 3             |
| 2.      | विनय रामभास्कर (अजा) पुत्र अकलू राम    | 7.11.79/021989/245, बी2, 7.7.15                     | टीई, लेवल-3, मऊ स्टेशन, 21700      | 2             |

नोट:- क्रम सं. 1 पर अंकित कर्मचारी की नियुक्ति इस कार्यालय के आदेश सं 65/14 दिनांक 13.9.14 दारा की जा चुकी है। इन्हें मात्र वरि.टी.ई. में नियमित किया गया है।

ये तृतीय श्रेणी में अस्थायी कर्मचारी पर लागू होने वाले सभी नियमों एवं शर्तों के अधीन शासित होंगे। इन्हें वेतन का भुगतान इनके वास्तविक कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से देय होगा। रेलवे बोर्ड के पत्रांक संख्या ई (एन.जी.)1/90/आईसीआई/1 दिनांक 4.2.91 के आदेशानुसार इनके प्रशिक्षण की अवधि वेतन वृद्धि के लिये अर्हक सेवा मानी जायेगी। ये दिनांक 1.1.04 से लागू नई पेन्शन प्रणाली से शासित होंगे। ये अपने पद पर दो वर्ष परिविक्षा(प्रोवेशन) पर कार्यरत रहेंगे। रेलवे बोर्ड के पत्र सं.2004/ई/एस.सी.टी./1/99/2 दिनांक 7.7.06 के अनुसार अजा/अजजा कोटे से संबंधित होने का जिला अधिकारी दारा प्रमाण पत्र की सत्यता की पुष्टि न हो जाये। यदि इसमें एवं शैक्षणिक प्रमाण पत्रों में किसी प्रकार की असत्यता पायी जाती है तो बिना कारण बताओ नोटिस के सेवा समाप्त कर दी जायेगी तथा आपके विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता के तहत कार्यवाही की जायेगी। इन्हे अतिरिक्त प्रादेशिक सेवा के रेल इन्जीनियरिंग यूनिट में 07 वर्ष तथा प्रादेशिक सेवा के आरक्षित वर्ग में 02 वर्ष अथवा समय-समय पर निर्धारित अन्य अवधि के लिये सैन्य सेवा में लगाये जाने के पात्र होंगे।

क्षेत्रीय रेल प्रशिक्षण संस्थान मुजफ्फरपुर के पत्र संख्या- टी/327/23/1/भाग-viii दिनांक-23.01.16 द्वारा क्रम संख्या-02 टिकट परीक्षक के प्रशिक्षण दिनांक-21.07.16 से 05.09.16 के प्रशिक्षण में रहे हैं। प्रशिक्षण अवधि का वृत्तिका भुगतान सुनिश्चित करें। प्रशिक्षण संस्थान द्वारा प्रशिक्षण अवधि का वृत्तिका भुगतान नहीं किया गया है। उक्त पर सक्षम अधिकारी का आदेश प्राप्त है।

  
मंडल वाणिज्य प्रबन्धक  
वाराणसी  
दिनांक-17.04.17


- संख्या-का/वा/227/टिकट संग्राहक/97  
प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-
3. वमवाप्र/वारा
  4. वपविप्र/वाराणसी
  5. कार्यालय आदेश पुस्तिका
  6. कार्याधी परिचालन बिल
  7. स्टेडी/मुटिनी/मऊ-कर्मचारी के कार्यग्रहण की तिथि से अवगत करावे।
  8. संबंधित कर्मचारी 9. मंडल मंत्री नरमू अजा जजजा एसों. वाराणसी
  9. अन्य प्रति



सहायक प्रबन्धक (का.)  
पूर्वात्तर रेलवे, वाराणसी



Vinay Ram Bhaskar,

  
कृते मंडल रेल प्रबन्धक (का.)  
वाराणसी